भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1903

30.07.2021 को उत्तर के लिए

परियोजनाओं हेतु वन्यजीव आवास भूमि का अन्यत्र उपयोग

1903. श्री राहुल रमेश शेवाले, श्री सय्यद ईमत्याज जलील, श्री गिरीश भालचन्द्र बापट, श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि, श्री रवनीत सिंह, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे, श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या ***पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) ने विकास परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए वन्यजीव आवास से संबंधित बड़ी मात्रा में भूमि के अन्यत्र उपयोग को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे विचारित और स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और पारिस्थितिकी संवेदनशील जोनों, वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की अन्यत्र प्रयोजन के लिए उपयोग की गई भूमि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने जगली जानवरों की आवाजाही और उनके आवास पर ऐसी परियोजनाओं के प्रभाव का कोई अध्ययन या आकलन किया है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या जानवरों के आवास की भूमि का अधिकांश अन्यत्र उपयोग सड़क, रेलवे, विद्युत पारेषण लाइनों जैसी लाईनर परियोजनाओं के लिए था और ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी तब दी गई थी जब वर्ष 2020 के दौरान इन स्थानों का दौरा प्रतिबंधित कर दिया गया था;

(ड.) यदि हां, तो क्या सरकार ने एनबीडब्ल्यूएल को इन परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाने के लिए कहा है; और

(च) यदि हां, तो क्या संरक्षण क्षेत्रों से भूमि के ऐसे अन्यत्र उपयोग को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देशों का इस संबंध में पालन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, बाघ रिजर्वों, बाघ गलियारों के भीतर विकासात्मक कार्यकलापों के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास के पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के भीतर पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाले कार्यकलापों को राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (एससीएनबीडब्ल्यूएल) के विचारार्थ अग्रेषित किया जाता है। उन प्रस्तावों को राज्य सरकार तथा संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में गठित राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा पूरी तरह से संवीक्षा करने के उपरांत अग्रेषित किया जाता है। अपूर्ण प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को लौटा दिया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (एससीएनबीडब्ल्यूएल), जिसमें प्रतिष्ठित परिस्थितिविज्ञानी, संरक्षण विशेषज्ञ और पर्यावरणविद् भी शामिल होते हैं, उसके विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्तावों पर पूरी जानकारी प्राप्त करके निर्णय लेती है। पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, पारि-संवेदनशील क्षेत्रों, बाघ रिज़र्वों और बाघ गलियारों में आने वाले वन और वनेतर दोनों क्षेत्रों में

एससीएनबीडब्ल्यूएल द्वारा विचार किए तथा अनुशंसित किए गए परियोजना प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0
2	आंध्र प्रदेश	2	2
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0
4	बिहार	1	0
5	गोवा	2	2
6	गुजरात	13	2
7	जम्मू और कश्मीर	2	2
8	झारखंड	1	1
9	कर्नाटक	3	2
10	केरल	1	2
11	मध्य प्रदेश	9	2
12	महाराष्ट्र	26	0
13	मिजोरम	0	2
14	पंजाब	1	0
15	राजस्थान	10	12
16	तमिलनाडु	27	1
17	तेलंगाना	1	4
18	त्रिपुरा	10	0
19	उत्तराखंड	15	6
20	उत्तर प्रदेश	2	5

(ग) : प्रस्तावों को अनुशंसित करते समय, एससीएनबीडब्ल्यूएल यह शर्त रखती है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अनुशंसित प्रस्तावों के लिए निर्धारित शर्तों के संबंध में वार्षिक अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए और राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा भारत सरकार को वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एससीएनबीडब्ल्यूएल ने दिनांक 5 अक्तूबर, 2020 को आयोजित 59वीं बैठक में यह निर्णय लिया है कि मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ) एससीएनबीडब्ल्यूएल द्वारा निर्धारित की गई शर्तों की निगरानी का कार्य करेंगे। तदनुसार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे एससीएनबीडब्ल्यूएल द्वारा लगाई गई शर्तों की निगरानी करें।

(घ) : वर्ष 2020 के दौरान, एससीएनबीडब्ल्यूएल ने 07 अप्रैल, 2020, 03 जुलाई, 2020 और 05 अक्तूबर, 2020 को बैठकों का आयोजन किया। एससीएनबीडब्ल्यूएल ने रेलवे, सड़कों, पारेषण लाइनों, खनन, रक्षा, सिंचाई, न्यायिक बुनियादी ढांचे का विकास, सर्वेक्षण और भू-तकनीकी जांच, पुल का निर्माण, पनडुब्बी केबल सिस्टम आदि के लिए परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया और इनकी अनुशंसा की, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा इसके विचार किए जाने के लिए अग्रेषित किया गया था। इन परियोजना प्रस्तावों के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा स्थलों का निरीक्षण किया गया था। इस अवधि के दौरान, एससीएनबीडब्ल्यूएल ने गांगेय डॉल्फिनों का संरक्षण, गिद्ध संरक्षण संबंधी कार्य-योजना आदि जैसी नीतिगत पहलों की भी अनुशंसा की है।

(ड.) और (च) : राज्य सरकार द्वारा विकल्पों की जांच के पश्चात् और औचित्य के साथ परियोजना प्रस्तावों को अग्रेषित किया जाता है। एससीएनबीडब्ल्यूएल द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से, जब भी आवश्यक हो, सलाह ली जाती है तथा पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्णय लिए जाते हैं।

*****